न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0 मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3845–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–9–2015 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला सीधी म0प्र0 प्रकरण क्रमांक–376/निगरानी/2011–12.

.....

ग्रेमचन्द्र पुत्र श्री गंगा वानी
निवासी ग्राम कुचवाही, तहसील सिहावल
जिला सीधी म0प्र0

------आवेदक

विरूद्ध

1. श्री चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री गंगा वानी
2. सोमवती पुत्री गंगा वानी
3. चन्द्रकली पुत्री गंगा वानी
4. फूलमती पुत्री गंगा वानी
   निवासी ग्राम कुचवाही, तहसील सिहावल
   जिला सीधी म0प्र0

------अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02/08/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला सीधी के आदेश दिनांक 8–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा विचारण न्यायालय तहसील सिहावन के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर ग्राम कुचवाही स्थित भूमि खसरा कमांक 294 रकवा 0.10, 514 रकवा 0.22, 525 रकवा 0.44, 543 रकवा 0.57 है कुल किता 4 रकवा 1.33 हे0

शामिल खाते की भूमि का बटवारा हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 51–अ–27/07–08 में दिनांक 19–12–2008 से आदेश पारित किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदवनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 10–12–2010 से अवधि बाह्य मानकर खारिज की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 08–9–16 से आवेदक की निगरानी निरस्त की। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया और एकपक्षीय आदेश आदेश पारित कर दिया। आवेदक को आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि बाह्य मानकर खारिज करने में त्रुटि की है। अपर कलेक्टर द्वारा इस ओर ध्यान न देकर निगरानी निरस्त करने में त्रुटि की है। आवेदक द्वारा बंटवारा कार्यवाही में सहमति नहीं दी थी ऐसी स्थिति में बटवारा कार्यवाही को विधिवत नहीं कहा जा सकता है। फर्दों का विधिवत प्रकाशन नहीं किया गया है और न ही आपत्तियां प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था। अनुविभागीय अधिकारी को अपील का निराकरा तकनीकी आधार पर न करते हुये गुण–दोषों पर करना चाहिए था। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत नोटिस जारी कर उभय पक्ष को सुनने के उपरांत बटवारा आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध समय बाधित अपील प्रस्तुत की गई थी इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समय–सीमा से बाहर मानकर खारिज की। अपर कलेक्टर द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित माना है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ प्रकरण में उभय–पक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण करने एवं प्रकरण के अध्ययन से पाता हूं कि विचारण न्यायालय के बटवारा प्रकरण में निगरानीकर्ता ने सम्मन लेने से इंकार किया है, दोबारा सम्मन चस्पीदगी से तामील कराया गया है, इसके बावजूद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है । पटवारी द्वारा तैयार की गई बटवारा पुल्ली में निगरानीकर्ता को छोडकर शेष सहखातेदारों ने सहमति बतौर हस्ताक्षर किया है तथा निगरानीकर्त्ता ने फर्द बटवारा पुल्ली में हस्ताक्षर करने से इंकार किया है, इससे यह नहीं माना जा सकता कि निगरानीकर्ता को बटवारा कार्यवाही की जानकारी नहीं थी । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी, गोपदबनास के समक्ष प्रस्तुत अपील समय–सीमा से बाहर थी, निगरानीकर्ता द्वारा विलंब के बिंदु पर धारा–5 म्याद अधिनियम के आवेदन में 10 माह विलंब के संबंध में दर्शाये गये तथ्य समाधानकारक नहीं पाये जाने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समय–सीमा के बिंदु पर निरस्त की गई है । इसी आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा भी निगरानीकर्ता के आवेदन को विधि अनुकूल नहीं पाये जाने से अपने आदेश दिनांक 08–09–15 द्वारा निरस्त किया गया है । इस न्यायालय में भी निगरानीकर्ता द्वारा कोई ऐसा तथ्य पेश नहीं किया है जिससे उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में 10 माह विलंब का कोई समाधान हो सके । उक्त विवेचना के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि अनुकूल है, उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

अतः अपर कलेक्टर, जिला सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–09–15 विधि संगत होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

2/8/18

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर